

[श्री रामजी लाल सुमन]

मैं यहाँ गैर हाजिर रहा, मैं उसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ और मैं आपको सरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपसभापति : बस, अब क्षमा हो गई मैंने भी एकसप्ट कर लिया।

THE BOARD FOR WELFARE AND PROTECTION OF RIGHTS OF HANDICAPPED BILL, 1991.

भ्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : उप सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री रामजी लाल सुमन : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

THE NATIONAL TRUST FOR WELFARE OF PERSONS WITH MENTAL RETARDATION AND CEREBRAL PALSY BILL, 1991.

भ्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानसिक अवसद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघातग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक न्यास का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री रामजी लाल सुमन : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; Now, I think we had been discussing Assam and it was not completed yesterday. We also have special mentions. Could we continue discussion on Assam which is a very serious matter? After that we can take up special mentions.

SHRI M. M. JACOB; Discussion on price rise is being put down everyday. This is the third day that this discussion is becoming a casualty. It is a serious matter and we want to discuss price rise.

THE DEPUTY CHAIRMAN; To discuss all these important matters I think we should expedite our work in the House. I call upon Mr. Chat-uranan Mishra to continue.

1. RESOLUTION APPROVING PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO ASSAM

2. MOTION RECOMMENDING REVOCATION OF THE PROCLAMATION—Coritd.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया,

उपसभापति : जरा जल्दी-जल्दी बोल दीजिए जो भी बोलना है।

श्री चतुरानन मिश्र : जो भी आप समय दीजिए।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : जो भी बोलें रिलीवेंट ही बोलना चाहिए।

उपसभापति : उनके लिहाज से तो रिलीवेंट ही होगा, आपके लिहाज से इरिलीवेंट हो सकता है ... (व्यवधान) उनके लिहाज से सोचिए।